



224

कोड

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- /निगरानी/2012-13 R-767- II/13

8 FEB 2013

खुशीराम तनय लक्ष्मन यादव निवासी ग्राम सुकवाहा तहसील व जिला-टीकमगढ़ म.प्र. ....निगराकार

बनाम

- 1- फेरन, 2- सुखदयाल उर्फ जगदीश, 3- कैलाश पुत्रगण भुजवल यादव, 4- महिला दुर्गाबाई वेवा भुजवल यादव, 5- श्रीमति चमेली, 6- श्रीमति नन्नीवैन पुत्रीयां भुजवल यादव, 7- बाबू, 8- रामसहाय, 9- धनीराम पुत्रगण बन्दू यादव, 10- सुजान, 11- छुट्टी पुत्रगण धुन्दे यादव, 12- महिला नौनीबाई पुत्री धुन्दे यादव, 13- आशा, 14- रामेश्वर, 15- महिला गुडडीबाई, 16- महिला गैदाबाई उर्फ गिरजा पुत्रगण धर्मा यादव, 17- लक्ष्मन तनय गल्ली यादव, 18- सीताराम तनय प्यारेलाल यादव, 19- भगवानदास तनय गजाधर यादव, 20- शिवदीन तनय झल्ली लुहार, 21- रामदयाल तनय मुलुवा लुहार, 22- जगताराम तनय सुजान यादव, 23- सरमन तनय झुट्टू यादव, 24- सुरेन्द्र तनय हल्लू यादव, 25- तिलकसिंह तनय रंधीर यादव, 26- घंसू, 27- नंदू, 28- खंजू, 29- शिवदयाल पुत्रगण हरचरण लुहार, 30- सरूपा तनय बिहारी लुहार, 31- बंदू तनय हलका बाढ़ई, 32- मथुरा तनय रामदीन बाढ़ई समस्त निवासीयान ग्राम सुकवाहा तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ....प्रतिनिगराकारगण

श्री राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत.  
 कार्यलय ग्वालियर, सागर तन्मग, सागर (म. प्र.)

16  
 08-2-13  
 11-2-13  
 11-2-13

20-2-13

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 206/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28-01-2013 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खातेदार फेरन तनय भुजवल यादव वगैरह की ओर से न्यायालय नायव तहसीलदार वृत्त समर्रा के समक्ष ग्राम सुकवाहा स्थित कृषि भूमियों के बटवारा बावत् आवेदन किया जिसमें सभी खातेदारों को नोटिस जारी किये गये, तथा प्रकरण दिनांक 10-10-2007 को संहिता की धारा 35(2) के तहत अदम् पैरवी में निरस्त किया गया फिर जब प्रकरण धारा 35(3) के तहत पुनः

पक्ष

.....2

27.12.16

आदेशों को अंतिम  
 को अंतिम रूप से अंतिम  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 को अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही पत्र

करीब अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 को अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप  
 अंतिम रूप को अंतिम रूप

27/12